

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर  
पीठासीन अधिकारी सुश्री प्रियंका कड़ेला आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर - 95/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. गिराज पुत्र कानाराम
2. पुखराज पुत्र कानाराम जाति गुर्जर निवासी आरपुरा तहसील बरनाला

-प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बरनाला

-अप्रार्थी

वकील प्रार्थीया- श्री योगेश कुमार शर्मा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :- 25.04.26

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजभूराज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 139 रकबा 5.42 है0 स्थित ग्राम आरपुरा तहसील बरनाला है, जिसके प्रार्थीगण ही एकमात्र खातेदार काश्तगार है। अन्य किसी दीगर व्यक्ति का उपरोक्त भूमि से कोई संबंध या वास्ता नहीं है। यह कि उपरोक्त आराजी को प्रार्थीगण ही वहैसियत खातेदार काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। अन्य किसी दीगर व्यक्ति का इस भूमि से कोई संबंध, ताल्लुक, वास्ता नहीं है। यह कि प्रार्थीगण की मेड़ को पड़ौसी खातेदार आये दिन ध्वस्तकर प्रार्थीगण की भूमि को अपनी भूमि में दबाने की नीयत रखते है जिसके चलते प्रार्थीगण को अपनी भूमि की डोल मेड़ के संबंध में पड़ौसी खातेदारान से आये दिन विवाद का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगण अपनी भूमि का सीमाज्ञान भी करा चुके है। फिर भी पड़ौसी खातेदारान आये दिन विवाद करते रहते है। जिससे प्रार्थीगण को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिससे आये दिन पड़ौसियों से झगड़े की संभावना बनी रहती है। आये दिन पड़ौसी खातेदारों से होने वाले विवादों के दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के मद संख्या-1 में वर्णित अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है जिससे कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि के संबंध में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। अनावश्यक विवादों से बचने के लिए पत्थरगढ़ी करवाया जाना कानूनन व न्यायहित में आवश्यक है। इस संबंध में प्रार्थी ने दिनांक 25.08.2025 को तहसीलदार बरनाला से पत्थरगढ़ी करवाने हेतु निवेदन किया लेकिन उन्होंने श्रीमानजी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर उचित आदेश लाने हेतु कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी लेण्ड होल्डर तहसीलदार बरनाला को आदेश दिया जावे कि वह टीम गठित कर आराजी हाल खसरा नम्बर 139 रकबा 5.42 है0 स्थित ग्राम आरपुरा तहसील बरनाला की पत्थरगढ़ी करवाये जाने आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128 राजभूराज0 अधिनियम 1956 पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण की ओर से अपने खाते की नकल जमाबंदी एवं तहसीलदार बरनाला की ओर


प्रार्थीगण  
अप्रार्थी (सामना)

से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्बत् 2073 से 2076 ग्राम आरपुरा पटवार मण्डल महारावण्ड भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र बरनाला तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 139 रकबा 5.42 है० स्थित ग्राम आरपुरा तहसील बरनाला स्थित भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। हमारे द्वारा बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम आरपुरा पटवार मण्डल महारावण्ड भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र बरनाला तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 139 रकबा 5.42 है० स्थित ग्राम आरपुरा तहसील बरनाला भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू०अ० निरीक्षक बरनाला को 1000/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू०अ० निरीक्षक बरनाला जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर प्रार्थीगण व पड़ोसी खातेदारों की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बरनाला को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.4.26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

  
(प्रियंकु कhandelwal)  
उपरखण्ड अधिकारी (सि०मा०)  
बामनवास (सवाई माधोपुर)